



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

सार्वजनिक सूचना

मि.सं. 1-127/2013 (एन्टी रैगिंग)

जुलाई, 2013

उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण।

जनसाधारण के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि रैगिंग एक आपराधिक कृत्य है तथा यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में रैगिंग के दुष्परिमाणों का उन्मूलन करने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण करने हेतु विनियम, 2009 सृजित किये हैं।

उपरोक्त विनियम अधिदेशात्मक हैं तथा समस्त संस्थान इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये तथा यूजीसी को सूचित करें।

रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र निःशुल्क हेल्पलाइन सं. 1800-180-5522 अथवा मैसर्स सायरेक्स इन्फोसर्विसिज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जे-1, उद्योग नगर, समीप डीडी मोटर्स, रोहतक रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली-110041 वेबसाइट www.antiragging.in पर संपर्क कर सकते हैं।

सचिव

राज्य सरकार

०/६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002

सार्वजनिक सूचना

मि.सं. 1-127/2013 (एन्टी रैगिंग)

जुलाई, 2013

उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण।

समस्त संस्थानों, छात्रों एवं अन्य विभिन्न पणधारियों के संज्ञान में यह बात लाई जाती है कि रैगिंग एक आपराधिक कृत्य है तथा यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में रैगिंग के दुष्परिणामों का उन्मूलन करने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम का निराकरण करने हेतु विनियम, 2009 सृजित किये हैं। ये विनियम, यूजीसी की मि.सं. 1-16/2009 (CPP-II) दिनांक 21.10. 2009 में अधिसूचित किये गए हैं तथा यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं।

उपरिलिखित विनियम, अधिदेशात्मक हैं तथा ऐसे समस्त विश्वविद्यालयों पर, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या संघशासित प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत स्थापित या निगमित हैं, लागू होंगे एवं ऐसे संस्थानों पर लागू होंगे जो यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद (3) के अन्तर्गत मान्य समस्त संस्थानों तथा सभी मानित विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, दिनांक 4 जुलाई, 2009 अर्थात् सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन विनियमों के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु कदम उठायें तथा उपरोक्त विनियम के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षण तंत्र सहित कड़ाईपूर्वक इनके अनुपालन को सुनिश्चित करें। रैगिंग विरोधी निम्न उपचारात्मक उपायों का भी कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाए:-

1) सभी संस्थान, परिसर के भीतर प्रमुख स्थलों पर विज्ञापन (होर्डिंग्स)/ सूचना पट्टिका/ बैनर लगायें, ताकि छात्र रैगिंग संबंधी किसी भी कृत्य में संलिप्त होने के लिए हतोत्सहित हों तथा उसका निवारण करें तथा उन विज्ञापन सूचना पट्टिकाओं पर उन अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष सं. दर्शायें जिनसे रैगिंग की कोई भी घटना घटित होने पर संपर्क साधा जा सके।

2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति राघवन समिति की अनुशंसाओं के निर्देशों का निरपवाद रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त शैक्षिक संस्थान रैगिंग विरोधी समिति तथा वार्डनों एवं व्यवसायिक परामर्शदाताओं के एक समर्पित संवर्ग के दस्तों का सृजन करेंगे।

3) विनियम 6.2 की धाराओं (m एवं n) के अनुसार प्रत्येक छात्र, अभिभावक/संरक्षक से एक पृथक शपथपत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा।

4) संस्थान, ऐसा किसी भी अन्य प्रकार का अभियान प्रारम्भ कर सकता है जिसे वह रैगिंग के निराकरण के लिए उपयुक्त समझता है।

5) यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर रैगिंग विरोधी फ़िल्म अपलोड की है। समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे भी इसे डाउनलोड करें तथा अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रों के मध्य इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार करें। इसके अतिरिक्त, अकादमिक सत्र की समस्त अवधि के दौरान इसका निरन्तर परिवीक्षण भी करें।

उपरोक्तानुसार, यूजीसी विनियमों का उल्लंघन होने पर अथवा रैगिंग के निराकरण के प्रति आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ बने रहने की स्थिति में अथवा इन विनियमों के अनुसार सक्रिय बने रहने अथवा रैगिंग के दोषी व्यक्तियों को उचित रूप से दण्डित न करने की स्थिति में, ऐसे दोषी संस्थानों के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दण्डात्मक कार्रवाई करेगा।

रैगिंग की घटनाओं से पीड़ित छात्र निःशुल्क हेल्पलाइन 1800-180-5522 पर संपर्क कर सकते हैं।

सचिव